# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 114/2021 बउनवानी रामस्वरूप बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री रामनारायण, नि0 म.न. 157/2, सैक्टर–4 मदनगीर डॉ0 अम्बेडकर नगर नई दिल्ली–110062

**GCMS No-2021/316**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **29.12.2021** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.07.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– |

1. ग्राम खेडा बाड रामगढ के ख0न0 218/504 राजस्व रिकार्ड में किसके नाम दर्ज है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है ।
2. ग्राम खेडा बाड रामगढ के ख0न0 218/504 के कितने भाग पर वर्तमान मे खेती हो रही है ओर कौन कर रहा है ।
3. ग्राम खेडा बाड रामगढ के ख0न0 218/504 में कितने मंदिर है और यह कब से स्थापित है।
4. ग्राम खेडा बाड रामगढ के ख0न0 218/504 पर अवैध कब्जा हटाने के लिए आपके विभाग द्वारा अब तक कितनी बार विभागीय कार्यवाही की गयी है। की प्रति उपलब्ध करावे
5. ग्राम खेडा बाड रामगढ के ख0न0 218/504 में स्थित प्राचीन कुंआ ओर मंदिरो पर जाने के लिए कितना चौडा मार्ग है । सेटेलाईट नक्शा उपलब्ध करावे।
6. ग्राम खेडा बाड रामगढ के ख0न0 218/504 के अलावा उपरोक्त राजस्व ग्राम मे चरागाह, धर्म स्थान और ग्राम सभा की कुल कितनी भूमि है इसपर कितने अवैध कब्जे है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: सूकाअ/2021/141 दिनांक 14.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10.07.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगयात 6 पर चाही सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवीाय गयी है जिसके संबंध में जरिये पत्रांक 2069 दिनांक 3.8.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनंक 10.07.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 पर चाही गयी सूचना यद्यपि प्रश्नात्मक है किन्तु बिन्दु संख्या 1,2,3,5,6, पर चाही गयी सूचना सामान्य प्रकृति की होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना उचित समझता हूँ। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं की सूचना के परिप्रेक्ष्य में खेडा बाढ रामगढ स्थित ख0न0 218/504 वर्तमान जमाबन्दी खसरा गिरदावरी एवं उक्त ग्राम में स्थित चरागाह भूमि व चरागाह भूमि के पी–14 की नकल अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली बाद तामील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:02:58 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर